<u>न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी

प्रमोद कुमार शर्मा,

(RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः 09-03-2026

सेशन प्रकरण सं. **76/2022**

सी.आई.एस. नं. **148/2018**

C.N.R. No. RJBR010009962018

एफ.आई.आर.संख्या 93/2005 पुलिस थाना कोतवाली बारां

अपराध अंतर्गत धारा 8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित नागर, विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र मथुरालाल ग्राम खेहरा थाना छीपाबडौद जिला बारां।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री लाल सिंह मारन, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		10.02.2005
एफ०आई०आर० की दिनांक		10.02.2005
आरोप पत्र की दिनांक		26.09.2008
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		18.12.2018
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		09.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनांक		09.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	मुरली उर्फ मुरलीधर	28-06-2018	27-05-2020	8/29 एन.डी.पी.एस	दोषमुक्त	-	अभियुक्त दिनांक 28.06.18 से 27.05.20 तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहा।

PART– II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	जयप्रकाश पुनिया	EYE WITNESS
PW2	हुकमचंद	EYE WITNESS
PW3	सुभाष चंद	POLICE WITNESS
PW5	राजेन्द्र कुमार	POLICE WITNESS
PW7	हेमराज	OTHER WITNESS
PW11	भंवर सिंह	POLICE WITNESS, I.O.
PW12	भवानीशंकर	OTHER WITNESS

PW13	घनश्याम	OTHER WITNESS
PW14	अब्दुल मजीद	OTHER WITNESS

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1	फर्द चैकिंग व जप्ती
2	Ex P2	फर्द सहमति स्वतंत्र गवाहान
3	Ex P3	फर्द जामा तलाशी मेघराज
4	Ex P4	फर्द गिरफतारी मेघराज
5	Ex P5	फर्द नष्टीकरण सील
6	Ex P6	नक्शा मौका घटनास्थल
7	Ex P7	स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु हुक्मनामा
8	Ex P8	एफ.एस.एल. रसीद
9	Ex P8 ए	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना
10	Ex P10	फर्द तस्दीक मकान मुरली
11	Ex P11	मुलजिम मेघराज की दफा-27 साक्ष्य अधिनिय की सूचना
12	Ex P12	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
13	Ex P13	पुलिस बयान भवानीशंकर
14	Ex P14	अभि0 मुरली की गिरफतारी हेतु न्यायालय का आदेश दिनांक 28-06-2018
15	Ex P15	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम मुरली

16	Ex P16	इन्वेन्ट्री कार्यवाही हेतु न्यायालय अति0 न्यायिक मजि0, बारां का पत्र दिनांक 19-09-2018
17	Ex P17	इन्वेन्ट्री कार्यवाही का सत्यापन प्रमाणपत्र
18	Ex P18 ता 25	इन्वेन्ट्री कार्यवाही के फोटोग्राफस
19	Ex P26	माल प्राप्ति रसीद

(B) <u>बचाव प्रदर्श</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
NIL		

(C) <u>न्यायालय प्रदर्श:</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) <u>सारवान वस्तु एवं मालखाना</u>:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1- यह प्रकरण आरक्षी केन्द्र कोतवाली बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-93/2005 धारा-8/21, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे एन.डी.पी.एस.एक्ट या अधिनियम कहा जायेगा) से सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग-पत्र के आधार पर संस्थित हुआ है।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार बताये गए हैं कि दिनांक 10-02 2005 को थानाधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत सी.आई. थानाधिकारी कोतवाली बारां ने मय जाप्ता दौराने नाकाबन्दी वाहन चैकिगं बारां में अटरू रोड़ पर ग्राम मण्डोला आबादी से दूर मेन रोड पर अटरू से बारां की और आने वाली मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सी.डी. डॉन RJ 20 4M 0483 को रोका, जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे। पिछे बैठा व्यक्ति नीचे उतरा जिसके हाथ में नीले रंग की पॉलिथीन की थैली थी जो एक दम भागा जिसको जाप्ता द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ा। उसी दौरान मोटरसाईकिल पर बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल बारां की तरफ चलाकर भाग गया। काफी प्रयास के बाद भी पकड़ में नहीं आया। डिटेन शुदा व्यक्ति ने अपना नाम मेघराज पुत्र धनरूप उम्र 25 साल निवासी घट्टी थाना बापचा जिला बारां तथा मोटरसाईकिल लेकर भागने वाले

का नाम मुरली पुत्र मथुरालाल निवासी खोहरा थाना छीपाबड़ौद जिला बारां बताया। डिटेनशुदा व्यक्ति की परिस्थितियाँ संदिग्ध होने से नियमानुसार तलाशी के प्रावधानों की पालना करते हुये चैक किया तो भुरे रंग का मादक पदार्थ अवैध स्मेक 510 ग्राम शुद्ध वजन 500 ग्राम स्मैक बरामद हुआ जो NDPS ACT. दफा 8/21 के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर NDPS ACT. के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर माल जप्त कर मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने पर आये, इत्यादि।

3- उक्त जप्ती के आधार पर वापसी पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 93/2005 अन्तर्गत धारा 8/21 अधिनियम 1985 में दर्ज कर मामले का अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान बयान फरियादी व गवाहान लिये गये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया। संपूर्ण तफतीश से मुलजिम मेघराज के विरूद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कम्पलीट चार्जशीट पेश की गयी तथा अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध धारा 299 जा0 फो0 में अनकम्पलीट चार्जशीट प्रस्तुत की गयी।

दौराने विचारण अभियुक्त मेघराज का पूर्व में दिनांक 16-12-2006 को निर्णय हो चुका है। तत्पश्चात दौराने तलाश पतारसी मुलजिम मुरली की दिनांक 23-06-2018 को उपकारागृह छबडा में दाखिल होने की सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय के आदेश से मुलजिम मुरली उर्फ मुरलीधर को जेल छबडा से प्राप्त किया जाकर बाद पूछताछ धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफतार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया तथा मुकदमा हाजा की तफतीश पूर्ण कर मुलजिम मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध कम्प्लीट चार्जशीट दफा-8/29 एनडीपीएस एक्ट में कता की जाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4- प्रकरण में बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध धारा 8/29 अधिनियम 1985 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी0ड0-1 लगायत पी0ड0-14 के बयान लेखबद्ध किये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-26 को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसके द्वारा उसे मामले में झूठा फंसाये जाने, उससे कोई बरामदगी नहीं होने एवं सह अभियुक्त से उसका कभी

कोई सम्पर्क नहीं होने का अभिवाक् किया गया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6- बहस सुनी गयी। बहस के माध्यम से विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किया जा चुका है। अभियोजन साक्ष्य में आये तुच्छ विरोधाभासों से अभियोजन का प्रकरण प्रभावित नहीं होता है। विभागीय साक्षीगण पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध व दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

7- अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। जप्ती के समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है, सभी गवाहान पुलिसकर्मी हैं। अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। सह अभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकरण में मुरली उर्फ मुरलीधर को अभियुक्त बनाया गया है। सह अभियुक्त मेघराज को मौके पर पकडे जाने के समय भी उसके द्वारा मादक पदार्थ अभियुक्त मुरली से क्रय करना नहीं बताया है। प्रकरण में मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाईकिल को जप्त नहीं किया गया है। मादक पदार्थ की बरामदगी सह अभियुक्त मेघराज के कब्जे से की गई थी जिसका पूर्व में निर्णय हो चुका है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त मुरली के द्वारा सह अभियुक्त मेघराज को कोई भी मादक पदार्थ का विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं हो पाया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध मादक पदार्थ के संबंध में कोई साक्ष्य दर्शित नहीं होती है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

8- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

(1) क्या दिनांक 10.02.2005 को समय 11.00 एम0एम0 के लगभग बमुकाम अटरू रोड मंडोला से आगे एसएचओ राजेन्द्र सिंह गोगोवत ने दौराने चैकिंग अभियुक्त मुरली को मोटरसाईकिल नंबर आरजे-20 4एम-483 को चलाकर लाते हुए रोका तब अभियुक्त मुरली मोटरसाईकिल के पीछे सह अभियुक्त मेघराज को बिठाकर ले जा रहा था, जिसक हाथ के थेले में भूरे रंग का सूखा पाउडर 510 ग्राम जिसका शुद्ध वजन 500 ग्राम था, बरामद किया जिसको रखने व परिवहन करने का कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर द्वारा बिना लाईसेंस 500 ग्राम स्मैक रखने एवं सह अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत परिवहन के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

<u>विचारणीय बिंदू सं0-1 -</u>

9- प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 10.02.2005 को अटरू रोड मण्डोला से आगे लगभग 11.00 ए.एम. पर पुलिस थाना कोतवाली बारां के इंचार्ज थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह गोगावत के द्वारा मय जाब्ता नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त मुरली को मोटरसाईकिल नंबर आरजे-20 4एम-483 को चलाकर लाते हुए रोका जाने पर मोटरसाईकिल के पीछे सह अभियुक्त मेघराज के कब्जे से भूरे रंग का सूखा पाउडर शुद्ध वजन 500 ग्राम, बरामद किया जिसको रखने व परिवहन करने का कोई लाईसेंस सह अभियुक्त मेघराज के पास नहीं होना, जिनके द्वारा बिना लाईसेंस उक्त स्मैक रखने एवं सह अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत परिवहन के अपराध का दुष्प्रेरण किये जाने के तथ्य बताये गये है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में वक्त नाकाबंदी जाप्ता के सदस्यगण पी.डब्ल्यू.-1 जयप्रकाश पूनिया, पी.डब्ल्यू.-2 हुकमचंद परीक्षित करवाये गये हैं जो कि सह अभियुक्त मेघराज के कब्जे से मादक पदार्थ स्मैक की कथित बरामदगी के समय घटनास्थल पर उपस्थित होना बताये गये हैं।

10- साक्षी जयप्रकाश पूनिया व साक्षी हुकमचंद जो कि प्रकरण में नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी के साथ होकर जप्ती की कार्यवाही के सदस्य होना बताये गये हैं, को अभियोजन की ओर से क्रमशः पी0ड0-1 व पी0ड0-2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, ने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.02.2005 को वे पुलिस थाना कोतवाली बारां पर क्रमशः हेड कानि0 व कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उस दिन वे थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह गोगावत के साथ मय जीप सरकारी चालक थाने से रवाना होकर अटरू रोड पर मण्डोला के आगे नाकाबंदी व वाहन चैकिंग कर रहे थे। करीब 12 बजे एक मोटरसाईकिल अटरू की तरफ से आयी जिसका नम्बर आरजे 20/4एम/0483 था, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुये थे, उनको उन्होंने रुकवाया व चेक करने लगे तो पीछे बेठा व्यक्ति एक नीले रंग की प्लास्टिक की थैली लेकर मोटरसाईकिल से उतरकर भागने लगा तो उसको एसएचओ साहब व जाप्ता ने रोका। उसी दौरान मोटरसाईकिल पर बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल को लेकर बारां की तरफ भाग गया। एसएचओ साहब ने संदिग्ध होने पर उस थैली वाले आदमी से उसके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मेघराज पुत्र धनरूप मीणा निवासी घट्टी थाना बापचा का होना बताया और भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछा तो उसका नाम मुरली पुत्र मथुरालाल मीणा निवासी खोहरा थाना छीपाबडौद का होना बताया। एसएचओ साहब ने मेघराज की तलाशी के लिये हुकमचंद को दो स्वतंत्र गवाहान लाने के लिये नोटिस देकर भेजा फिर करीब आधा घण्टे बाद हुकमचंद ने वापस आकर एसएचओ साहब को बताया कि कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ फिर सीआई साहब ने हुकमचंद व विनोद से सहमति प्राप्त कर उन दोनो को स्वतंत्र गवाहान मामूर किया। उसके बाद डिटेनशुदा व्यक्ति की एसएचओ साहब ने तलाशी बाबत सहमति प्राप्त कर व

पहले स्वयं की तलाशी उन्हें देकर फिर मेघराज की तलाशी उनके सामने ली तो उसके दांयिने हाथ में एक प्लास्टिक की नीले रंग की थैली थी, वह थैली चैक की तो उसमें एक सफेद रंग की थैली निकली जिस पर गांठ लगी हुई थी, जिसको खोलकर देखा तो उसमें सूखा भूरे रंग का पाउडर भरा हुआ मिला जिसको चैक किया तो वह स्मैक होना पाया गया। सीआई साहब ने मेघराज से स्मैक रखने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो मेघराज ने लाइसेंस होने से इंकार कर दिया। फिर सीआई साहब ने मोबाईल से कोतवाली बारां पर सूचना दी कि थाने से अनुसंधान बॉक्स भिजवाये। 01:35 पीएम पर सुभाष कानि. मौके पर अनुसंधान बॉक्स लेकर आया। फिर सीआई साहब ने हुकमचंद कानि० से स्मैक का वजन करवाया तो स्मैक का वजन मय बारदाना 510 ग्राम हुआ व शुद्ध स्मैक का वजन किया तो 500 ग्राम हुआ। शुद्ध स्मैक में से 30-30 ग्राम के दो सैंपल अलग से निकाले गये जिनको अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में रखकर कपडे की थैली में अलग अलग सील्ड मोहर किया गया, शेष बची 440 ग्राम स्मैक को उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर कपडे की थैली से सील्ड मोहर किया गया। मौके पर अलग से नमूना सील की फर्द बनाई गई। मुल्जिम मेघराज को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। सैम्पल को मार्क ए व बी दिया गया तथा शेष बचे माल को मार्क सी दिया गया।

गवाह **जयप्रकाश पुनिया** ने फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी-1, स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्रदर्श पी-2, फर्द जामा तलाशी मुल० मेघराज प्रदर्श पी-3, फर्द गिरफतारी मुल० मेघराज प्रदर्श पी-4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्शपी-5, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-6 पर ए से बी तथा गवाह **हुकमचंद** ने फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी-1, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-6 व स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु दिया गया हुक्मनामा प्रदर्श पी-7 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया है।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह पी०ड०-1 जयप्रकाश पुनिया ने कथन किया है कि भागने वाला व्यक्ति जो मोटरसाईकिल लेकर भागा था वह मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी थी जो कार्यवाही के दौरान जप्त नहीं की, अजखुद गवाह ने कहा कि वह व्यक्ति मोटरसाईकिल को लेकर भाग गया था इसलिए जप्त नहीं की। यह कहना सही है कि वह हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं पहचानता है।

11- गवाह पी०ड०-3 सुभाषचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.02.2005 को वह थाना कोतवाली में कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन उसे थाने से एक अनुसंधान बॉक्स दोपहर 1.15 बजे करीब देकर मण्डोला से आगे अटरू रोड पर सी०आई साहब को सुपुर्द कर आने को कहा था। 01.35 बजे वह सी०आई० साहब को अनुसंधान बॉक्स देकर 2.00 बजे वापस थाने पर आ गया था। तत्पश्चात मुकदमा नं० 93/05 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के धारा 57 की सूचना एक बंद लिफाफे में लेकर सवा पांच बजे थाने से रवाना होकर एसपी कार्यालय आया, वहां पर एस पी साहब बाहर होने के कारण एडीशनल साहब के घर पर जाकर बंद

लिफाफा देकर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर वापस थाना आया। धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी-8ए है जिस पर ए से बी एडीशनल एसपी साहब की प्रति प्राप्ति तथा हस्ताक्षर है।

12- गवाह पी0ड0-5 राजेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.02.2005 को वह पुलिस थाना कोतवाली बारां में कानि० के पद पर कार्यरत था। उस दिन शकील अहमद हैड साहब मालखाना इंचार्ज ने उसे मालखाने से निकालकर एक सील्डशुदा पैकेट मय कागजात दिया था जो एफएसएल जयपुर में जमा कराने के लिये उसे दिया था। यह पैकेट लेकर वह एसपी साहब कार्यालय बारां आया जहां पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाया फिर रवाना होकर दिनांक 15.02.2005 को एफएसएल जयपुर पहुंचा। एफएसएल जयपुर में उक्त पेकेट जमा करवाया। उक्त पेकेट मु०सं० 93/2005 का था। उक्त पैकेट जमा करवाकर रसीद सं० 933 प्राप्त कर वापस थाने पर आकर रसीद थाने में पेश की थी। रसीद प्रदर्श पी-8 है।

13- गवाह पी0ड0-7 हेमराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भवानीशंकर ने उसकी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा को मुरलीधर को 10,500/-रू0 में बेचकर मोटरसाईकिल के दस्तावेज दिये थे। मुरली ने भवानीशंकर को 5000/-रू0 दिये थे तथा शेष रकम देने के लिए 15 दिन का समय चाहा था। उसके बाद भवानीशंकर दो चार बार मुरली के पास पैसे लेने गया लेकिन मुरली नहीं मिला।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुलजिम मुरलीधर व भवानीशंकर को नहीं जानता है। उसके सामने इनके बीच कोई सौदा नहीं हुआ। उसने इस प्रकरण में पूर्व बयान भी पुलिस के कहे अनुसार दिये थे।

14- गवाह पी0ड0-11 भंवर सिंह ने विचारण के दौरान अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.02.2005 को वह पुलिस थाना कोतवाली बारां में एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ साहब श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत ने उसे मु०सं० 93/2005 अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अनुसंधान सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी-6 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक मकान मुरली प्रदर्श पी 10 है जो उसने बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर, जी से एच मेघराज के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान हुकमचंद, राजेन्द्र सिंह गोगावत, जयप्रकाश पूनियां, विनोद कुमार, सुभाषचंद, राजेन्द कुमार, शकील अहमद, हेमराज मीणा, भवानीशंकर के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। मेघराज की धारा 27 की सूचना बनाई थी जो प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मेघराज के हस्ताक्षर है। इस प्रकरण की एफसएल रिपार्ट शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 12 है। नकल रपट रोजनामचा शामिल पत्रावली है। बाद अनुसंधान उसने अनुसंधान पत्रावली

एसएचओ साहब को सुपुर्द की थी। बाद अनुसंधान मुल्जिम मेघराज के सिद्ध 8/21 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पाया गया था।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-10 मुलजिम मेघराज की निशादेही से बनाया था। यह सही है कि तस्दीक के समय मुरली के मकान से कोई सामान बरामद नहीं हुआ। मुलजिम मेघराज ने उसकी 27 की सूचना में उसके द्वारा मुरली के साथ रामसिंह से स्मैक खरीदना बताया था। यह सही है कि उसके अनुसंधान में मुरली की कोई मोटरसाईकिल बरामद नहीं हुयी।

15- गवाह पी0ड0-12 भवानीशंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके पास आरजे-20 4एम-083 रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटरसाईकिल थी। उसने यह मोटरसाईकिल शोरूम वाले को बेच दी थी, जिस शोरूम का नाम आज याद नहीं है। वह मुरली पुत्र मथुरालाल को नहीं जानता तथा उसने हेमराज के सामने यह मोटरसाईकिल मुरली को नहीं बेची। आज वह मोटरसाईकिल कहां पर है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही किये जाने पर जिरह अपर लोक अभियोजक में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-13 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है।

16- गवाह पी0ड0-13 घनश्याम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कितने साल पहले की बात है, उसे याद नहीं है। वह मुरली को जानता है। गांव में पुलिस आयी थी। उस समय वह भैंस चरा रहा था। पुलिस मुरली के मकान पर गयी थी या नहीं उसे पता नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसी स्थान पर करवाये थे जहां वह भैंसे चरा रहा था। उसके सामने नक्शा मौका नहीं बनाया था। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर उक्त गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही किया गया है।

17- गवाह पी0ड0-14 अब्दुल मजीद ने विचारण के दौरान अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.06.2018 को वह थाना कोतवाली बारां में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन उसे थाना कोतवाली से मुकदमा नम्बर 93/2005 के जुर्म दफा 8/29 एनडीपीएस के मुलजिम मुरली उर्फ मुरलीधर के उपकारागृह छबडा में होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस बारां के आदेश क्रमांक 1066 दिनांक 28.06.2018 प्राप्त कर किया। उक्त आदेश प्रर्दश पी-14 है। आदेश की पालना में मुलजिम मुरलीधर को प्राप्त कर थाना कोतवाली लाया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुकदमा हाजा में धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां मे दिनांक 19.09.2018 को इन्वेन्ट्री कार्यवाही हेतु निवेदन किया जो पत्र क्रमांक 456 प्रदर्श पी-16 है जिसकी पालना में दिनांक 24.09.2018 को न्यायालय द्वारा इन्वेन्ट्री कार्यवाही करवायी गयी, जिसका सत्यापन प्रमाण पत्र प्रर्दश

पी-17 है जिस पर ए से बी ए.सी.जे.एम. साहब बारां के हस्ताक्षर है। इन्वेन्ट्री कार्यवाही के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-18 लगायत प्रदर्श पी-25 है जिस पर ए से बी ए.सी.जे.एम. बारां के हस्ताक्षर है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-26 है जिस पर ए से बी एसीजेएम बारां, सी से डी उसके व ई से एफ मालखाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है।

18- उक्त प्रकार से इस प्रकरण में अभियोजन कहानी के संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य को देखे जाने पर यह प्रकट हुआ है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां के द्वारा दिनांक 10-02-2005 को की गई कथित फर्द चैकिंग व जप्ती अवैध मादक पदार्थ स्मैक के समय केवल अन्य अभियुक्त मेघराज को मादक पदार्थ के साथ पकडा जाना बताया गया है तथा अभियुक्त मेघराज उक्त जप्ती के समय जिस मोटरसाईकिल पर सवार होकर जाना बताया गया है, उस मोटरसाईकिल का चालक अभियुक्त मुरलीधर होना बताया गया है जो उक्त घटना/चैकिंग कार्यवाही के समय पुलिस द्वारा नहीं पकडा जा सक था तथा पुलिस की ओर से डिटेन किया गया अन्य अभियुक्त मेघराज के द्वारा भागने वाले व्यक्ति का नाम मुरली बताया गया था। इसी बाबत तथ्य थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह गोगावत के द्वारा अपनी फर्द चैकिंग प्रदर्श पी-1 में अंकित किया जाना प्रकट हुआ है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 10-02-2005 को की गयी उक्त कथित चैकिंग व मादक पदार्थ की जप्ती की कार्यवाही के उपरांत 13 वर्ष से भी अधिक समय अवधि के बाद पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर को धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के अपराध हेतु दिनांक 28-06-2018 को जर्ये फर्द प्रदर्श पी-15 से गिरफतार किया गया है। अभियुक्त की उक्त गिरफतारी के उपरांत पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से अभियुक्त मुरलीधर के संबंध में किये गये किस अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध अपराध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का आरोप बनना मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस बाबत पत्रावली पर कोई तात्विक साक्ष्य उपलब्ध होना प्रकट नहीं हुआ है। इस संबंध में स्वयं अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर को गिरफतार करने वाले प्रकरण के पश्चातवर्ती अनुसंधान अधिकारी अब्दुल मजीद के द्वारा पी0ड0-14 के रूप में पत्रावली पर परीक्षित होकर जो कथन किये गये हैं, उसके अनुसार उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर को गिरफतार करने के अतिरिक्त उसके संबंध में अन्य कोई अनुसंधान किये जाने के तथ्य नहीं बताये गये हैं तथा उसके द्वारा जिरह में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की गयी है कि उसने अभियुक्त मुरली को गिरफतार करने के अतिरिक्त उसके संबंध में अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मुरलीधर के द्वारा किस दिनांक, किस समय व किस स्थान पर सह अभियुक्त को मादक पदार्थ का विक्रय किया, यह वह नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में सह अभियुक्त मेघराज से कथित मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी के 13 वर्ष उपरांत अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर को गिरफतार किये जाने के बाद उसकी तलाशी में

अथवा उसके द्वारा किसी सूचना के आधार पर किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी अभियुक्त मुरलीधर के कब्जे से किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। साथ ही प्रकरण के तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त मुरली से इस बाबत कोई अन्य अनुसंधान भी नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त मुरलीधर ने सह अभियुक्त मेघराज को अवैध मादक पदार्थ स्मैक का कोई विक्रय किसी दिन या समय किया हो।

19- प्रकरण में थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 10-02-2005 को की गयी कार्यवाही फर्द चैकिंग व जप्ती के समय मोटरसाईकिल हीरो होण्डा व सीडी रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0-20 4एम-0483 पर दो व्यक्तियों के बैठकर आते समय मोटरसाईकिल चालक के मोटरसाईकिल सहित वहां से भाग जाने जबकि पीछे बैठे व्यक्ति मेघराज के कब्जे से मादक पदार्थ स्मैक बरामद होने के तथ्य फर्द चैकिंग प्रदर्श पी-1 में अंकित किया गया है। जबकि इस संबंध में पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है कि जिस मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0-20 4एम-0483 को मौके से घटना के समय भगाकर ले जाने के तथ्य बताये गये हैं, उस मोटरसाईकिल को बरामद करने के संबंध में अथवा मोटरसाईकिल के रजिस्टर्ड स्वामी का नाम पता ज्ञात करने के संबंध में प्रकरण के किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा कौइ कार्यवाही की गयी हो। स्वीकृत रूप से उक्त मोटरसाईकिल की कोई बरामदगी किया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है, न ही इस बाबत संबंधित परिवहन अधिकारी के कार्यालय से ही उक्त मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी के संबंध में कोई रिकॉर्ड अथवा सूचना प्राप्त किया जाना प्रकट हुआ है। यद्यपि प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु स्वयं पुलिस की ओर से प्रकरण के अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही का जो अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है, उसका अवलोकन किये जाने पर यह प्रकट हुआ है कि घटना के समय मौके से पकडे गये अभियुक्त मेघराज के द्वारा अनुसंधान अधिकारी को धारा 27 साक्ष्य अधि0 के अंतर्गत यह इत्तला दी गयी थी कि उसने तथा उसके साथ मुरली ने गुराडीटांडी के रामसिंह मीणा से 80 हजार रूपये में 500 ग्राम स्मैक क्रय की गयी थी। उक्त सूचना प्रदर्श पी-11 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। यद्यपि उक्त सूचना के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गयी कोई भी कार्यवाही पत्रावली के अवलोकन से दर्शित नहीं हुयी है। जबकि उसके बाद अभियुक्त मेघराज की सूचना के आधार पर मात्र अभियुक्त मुरली के मकान का नक्शा बनाया गया है जो प्रदर्श पी-10 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु उक्त प्रदर्श पी-10 से अभियुक्त मुरली के द्वारा सह अभियुक्त मेघराज को कोई भी मादक पदार्थ का विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पत्रावली पर इस बाबत भी कोई

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके अनुसार यह प्रकट होता हो कि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त मुरली को सह अभियुक्त मेघराज से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त करते हुए देखा गया हो। इस बाबत भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुयी है जिससे यह दर्शित हो सके कि मौके पर मोटरसाईकिल रूकवायी जाने के बाद मोटरसाईकिल चालक के भागने से पूर्व उसकी शिनाख्त घटनास्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति अथवा पुलिसकर्मी के द्वारा अभियुक्त मुरली के रूप में कर ली गयी हो।

20- अतः उक्त प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन व विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष का है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 10.02.2005 को समय 11.00 एम0एम0 के लगभग बमुकाम अटरू रोड मंडोला से आगे एसएचओ राजेन्द्र सिंह गोगोवत ने दौराने चैकिंग अभियुक्त मुरली को मोटरसाईकिल नंबर आरजे-20 4एम-0483 पर सह अभियुक्त मेघराज के साथ अवैध मादक पदार्थ स्मैक 500 ग्राम का आपराधिक षडयंत्रपूर्वक परिवहन करवाया गया हो अथवा उक्त मादक पदार्थ का विक्रय सह अभियुक्त को कर अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/29 के अपराध के आरोप प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त उक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

- आदेश -

21- निष्कर्षतः अभियुक्त मुरली उर्फ मुरलीधर पुत्र मथुरालाल ग्राम खेहरा थाना छीपाबडौद जिला बारां को आरोपित अपराध धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

22- प्रकरण से फर्द जप्ती अनुसार जब्त शुदा मादक पदार्थ स्मैक मय समस्त सेम्पल को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात, अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील होने की स्थिति में अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

23- अभियुक्त के विचारण के दौरान उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24- अभियुक्त को धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 10,000/- रूपये का बन्ध-पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति-पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बारां।

25- निर्णय आज दिनांक 09-03-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बारां।

RAFIK ALI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI